Court No. - 71

Case :- CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.P.C. No. - 11831 of 2023

Applicant :- Saif Ali Khan
Opposite Party :- State of U.P.
Counsel for Applicant :- Rahul Mishra,Rajat Singh
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Shekhar Kumar Yadav,J.

1- राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित है।

2- वर्तमान वाद अन्तर्गत धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गौवध अधिनियम में दाखिल किया गया है, जिसमें आवेदक के पास से पाँच बोरे लगभग 1.5 कुन्तल गौमांस मिला है। इस सम्बन्ध में विधि-विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या दिनाँक 30.09.2019 को आ चुकी है, जिसमें गौमांस की पुष्टि हुई है।

3- यह बहुत ही खेद का विषय है कि वर्तमान मामला वर्ष 2019 का है और आज तक विवेचना समाप्त नहीं हुई है। आए दिन इस प्रकार के मामले न्यायालय के समक्ष आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में गौहत्या पर प्रतिबन्ध है इसके बावजूद गौहत्या की जा रही हैं और जो भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, उसके सम्बन्ध में पुलिस की ओर से लचीला व्यवहार अपनाया जाता है, विवेचना समय पर समाप्त नहीं की जाती है, इसी कारण से गौहत्या के अपराध इस प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस विभाग इस प्रकार के मामलों में गम्भीर नहीं है, जिसका सीधा लाभ इस प्रकार के अपराधियों को मिलता है और उनका मनोबल भी बढ़ता है।

4- राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वेदमणि तिवारी द्वारा न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी गौहत्या के मामलों में कड़ा निर्देश पारित किया गया है, बावजूद इसके पुलिस मुस्तैद नहीं है।

5- पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को आदेशित किया जाता है कि जनपद प्रयागराज में वर्ष 2019 से आज तक कितने गौहत्या के मामले दर्ज है और कितनों की विवेचना प्रचलित है, इसकी सम्पूर्ण रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष मय शपथ-पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करे।

6- आदेशित किया जाता है कि अग्रिम नियत तिथि को पुलिस आयुक्त, प्रयागराज इस न्यायालय के समक्ष मय शपथ-पत्र के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे अन्यथा की स्थिति में प्रदेश सरकार के गृह सचिव, वर्ष 2019 से लेकर आज तक प्रदेश भर में गौहत्या के सम्बन्ध में जितनी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, उसकी प्रगति रिपोर्ट के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे अन्यथा की स्थिति में न्यायालय उनके विरूद्ध आदेश पारित करने को बाध्य होगी।

7- इस वाद को दिनांक **30.11.2023** को नवीनवाद के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

8- आदेश की एक प्रति अपर शासकीय अधिवक्ता को उपलब्ध करायें और वे पुलिस आयुक्त, प्रयागराज एवं गृह सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ को उक्त आदेश से अवगत करायें।

Order Date :- 17.11.2023
Rahul

Digitally signed by :-
RAHUL KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad